अंततः प्रगति आज़ादी के विस्तार से नापी जाती है। आप जो करना चाहें वह करने और जो बनना चाहें वह बनने की आजादी –
नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री, अमर्त्य सेन
('डेवलपमेंट एज फ्रीडम' से अनुदित)

पैक्स प्रोग्राम के बारें में अधिक जानकारी के लिए कृपया इस वेबसाइट पर जाएं :
www.empowerpoor.org

आप पैक्स प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से इस पते पर संपर्क कर सकते हैं:

डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स
बी ३२, तारा क्रिसेन्ट
कुतुब इंस्टीट्यूशन एरिया, नई दिल्ली – ११० ०१६.
भारत

फोन : +९१-०११-२६९६८९०४/
२६९६७९३८/२६८५११५८/२६५६५३७०
फैक्स : +९१-०११-२६८६६०३१
ई-मेल : pacsindia@devalt.org

निर्धनता एक
अभावग्रस्त जीवन
मात्र नहीं है

यह तो इंसान के एक
आजाद व सम्मानपूर्ण
जिंदगी जीने के बुनियादी
हक का हनन भी है

सर्वाधिक गरीब क्षेत्रों में नागरिक समाज कार्यक्रम – पैक्स प्रोग्राम २००१–२००८

गरीबों को सशक्त बनाना ताकि
वे जो चाहें कर सकें और
जो चाहें बन सकें

सहयोगकर्ता
DFID Department for International Development

प्रबंधन सलाहकार
Development Alternatives
PricewaterhouseCoopers (P) Ltd.

गरीबी का सामना, भारत की सबसे बडी चुनौती

भारत के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती है गरीबी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में सन् १९८३ के दौरान गरीबी का भार ४४.४८ प्रतिशत था जो १९९९-२००० तक घट कर २६.१० प्रतिशत रह गया। यदि यह आंकड़े सही भी हों तब भी करीब २६ करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे संघर्ष कर रहे हैं। करीब ८ करोड़ लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। करोड़ों के पास सिर छिपाने के लिए न कोई छत है न तन ढकने के लिए कपड़े। और न ही स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं तक उनकी पहुंच होती है। महिलाएं, दलित और हाशिए पर धकेले गए अन्य समूह आसानी से इन परिस्थितियों के शिकार हो जाते हैं।

लेकिन गरीबी केवल अभाव और कमी से संबंधित नहीं है। यह आजादी और सम्मान के साथ जीने के मूलभूत मानवाधिकार के न मिलने से भी जुड़ी बात है। एक बेहतर जीवन चुनने और बनाने के लिए अवसरों की कमी भी इसका एक आयाम है।

ब्रिटिश सरकार के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डी.एफ.आई.डी) द्वारा परिकल्पित और वित्तपोषित सर्वाधिक गरीब क्षेत्रों का नागरिक समाज कार्यक्रम (पैक्स प्रोग्राम) दीर्घकालीन और टिकाऊ प्रक्रिया के द्वारा देश के सर्वाधिक गरीब क्षेत्रों से गरीबी कम करने का लक्ष्य रखता है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य है गरीबों की क्षमता विकसित करना ताकि वे अपने हक के लिए खड़े हो सकें, नीतियों को प्रभावित कर सकें, अपने अधिकारों की मांग रख सकें, सामाजिक और आर्थिक अवरोधों को पार कर सकें तथा अपने लिए एक बेहतर जीवन बनाने हेतु अवसरों का निर्माण कर सकें। देश के कुछ सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों में कार्यरत प्रतिष्ठित नागरिक समाज संगठनों के साथ निकटता से जुड़ कर उनके सहयोग से यह कार्य किया जा रहा है।

भारत के सबसे अधिक पिछड़े क्षेत्रों वाले छह राज्यों में फैला पैक्स कार्यक्रम शायद सबसे बड़ा और अकेला ऐसा गरीबी विरोधी कार्यक्रम है जो नागरिक समाज संगठनों द्वारा लागू किया जा रहा है।

चुनौती

गरीबों में आत्मविश्वास, सामर्थ्य व शक्ति विकसित करना

दिशा

पैक्स प्रोग्राम इस तरह परिकल्पित किया गया है ताकि गरीबों को सशक्त बनाने और स्थानीय समुदायों की क्षमता विकसित करने की सर्वाधिक प्रभावकारी नीतियों को निर्धारित और कार्यान्वित किया जा सके। विकास से जुडी प्रमुख समस्याओं के समाधान हेतु पैक्स कार्यक्रम एक समग्र दिशा इंगित करता है,जिनमें विकास के निम्नलिखित मुद्दे भी शामिल हैं :

बेहतर स्थानीय स्वशासन : गरीबों की आवाज उठाने और अनके विचार अभिव्यक्त करने का सर्वोपयुक्त माध्यम है पंचायती राज संस्थाएं। गरीबों को इस बात के लिए जागृत करना आवश्यक है कि उन्हें अपने स्थानीय प्रतिनिधियों और सार्वजनिक सेवाओं पर लोकतांत्रिक नियंत्रण रखने का अधिकार प्राप्त है।

महिला सशक्तिकरण : पैक्स प्रोग्राम साझेदार संगठनों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे महिलाओं को उनके अधिकारों और क्षमताओं के बारे में जागृत करें, विशेषकर स्थानीय सरकार में उनकी भागीदारी के महत्व के बारे में तथा आय उपार्जन और निर्णय प्रक्रिया में शामिल होने के बारे में।

सामाजिक सम्बद्धता : पैक्स प्रोग्राम साझेदार संगठन गरीबों के बीच अधिकारों की जानकारी बढ़ाने तथा संस्थाओं और नीतियों में बदलाव लाने की कोशिशें कर रहे हैं, ताकि समुदायों के बीच भेदभाव कम किया जा सके। आदिवासियों, दलितों, महिलाओं, बच्चों तथा अन्य अल्पसंख्यकों से किए जाने वाले भेदभाव को समाप्त करने का विशेष प्रयास किया जा रहा है। साझेदार संगठनों की कोशिश रहती है कि शांतिपूर्ण और सामाजिक, रुप से सम्बद्ध तरीकों से गरीबों के अधिकार सुनिश्चित किये जाएं।

नीति पैरवी : स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर गरीबों की पक्षधर और प्रभावी नीतियों के अभाव में गरीबों की परेशानियां और भी जटिल हो जाती हैं। कहीं कहीं पर गरीबों की सहायक नीतियां मौजूद तो होती हैं लेकिन उन्हें लागू नहीं किया जाता। पैक्स कार्यक्रम के प्रबंधक और साझेदार पैरवी के प्रयास कर रहे हैं ताकि गरीबों की पक्षधर नीतियां बनें और उन्हें उचित ढंग से लागू किया जाए।

स्वसहायता : यदि गरीबों को ऊपर दिए गए दीर्घकालीन परिणाम हासिल करने के लिए संघर्ष करना है तो यह अति आवश्यक है कि उनकी मूलभूत तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। अत: पैक्स कार्यक्रम के साझेदार संगठन स्वसहायता के टिकाऊ प्रयत्नों को प्रोत्साहित करते हैं। ये प्रयत्न सरकारी प्रयासों के अनुपूरक होने चाहिए और इनसे अन्य मुद्दों को सम्बोधित करने का अवसर भी मिलना चाहिए। स्वसहायता से भागीदारी के नेतृत्व और आर्थिक सुरक्षा में भी मदद मिलती है।

पैक्स कार्यक्रम अपने साझेदारों को प्रोत्साहित करता है कि वे इन मुद्दों को सम्बोधित करने के लिए समाकलित तरीके अपनाऐं तथा अन्य नागरिक समाज संगठनों के गठबन्धनों (और नेटवर्कों) के ज़रिए काम करें। यह कार्यक्रम नेटवर्कों और समूहों के गठन को बढ़ावा देना चाहता है ताकि उपरोक्त महत्वपूर्ण मुद्दों पर सम्मिलित प्रयास किया जा सके।

गरीब से गरीब इन्सान तक पहुँचना

पैक्स कार्यक्रम भारत के कई सर्वाधिक पिछड़े और बहिष्कृत समुदायों के साथ काम करता है। इनमें बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में दलितों के बीच निम्नतम माने जाने वाले मुसहर भी शामिल हैं। इस भूमिहीन समुदाय के लोगों को अक्सर जड़ें, कंद-मूल, घोंघे और चूहे खाकर गुजारा करना पड़ता है। पैक्स प्रोग्राम के तहत कई ''मुसहर सशक्तिकरण'' कार्यक्रम शुरु किए गए हैं। १०५ वर्ष के माने जाने वाले एक वयोवृद्ध मुसहर ने कहा, ''अपने जीवन में पहली बार मैंने अपने समुदाय की महिलाओं और पुरुषों को बाहर निकल कर, साथ बैठ कर परेशानियों के बारे में चर्चा करते और उनका हल ढूँढ़ते हुए देखा है।''

स्पष्ट मध्य व दीर्घकालीन लक्ष्यों की ओर

Photographs by
Sudharak Olwe and Rajesh Vora

गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य पाने में मदद

ब्रिटिश सरकार की ओर से गरीबी उन्मूलन और अंतर्राष्ट्रीय विकास की कोशिशें लगातार ज़ारी हैं। गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली सम्मिलित आर्थिक वृद्धि को भी बढ़ावा दिया जाता है। इन प्रयासों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पैक्स कार्यक्रम आरंभ किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र संघ का सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य है सन् २०१५ तक अत्यधिक गरीबी में रहने वाले निर्धनों की संख्या घटा कर आधी करना। ब्रिटिश सरकार के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डी.एफ.आई.डी.) ने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए की जाने वाली कोशिशों में मदद करने का निर्णय लिया है।

भारत सरकार की दसवीं पंचवर्षीय योजना (२००२-२००७) में निर्धारित लक्ष्य भी काफी हद तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य को प्रतिबिंबित करते हैं। अत: इस ढाँचे के अंतर्गत डी.एफ.आई.डी. भारत सरकार की मदद कर रहा है। स्वयं अपने अनुभव के आधार पर तथा सरकारों और नागरिक समाज संगठनों के साथ हुए विचार विमर्श के आधार पर डी.एफ.आई.डी. ने एक भारत कार्यनीति योजना बनाई है। इस योजना में गरीबों की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता को पहचाना गया है ताकि वे अपने जीवन को बेहतर बनाने वाली नीतियों को प्रभावित कर सकें और अपने अधिकार मांग सकें।

पैक्स कार्यक्रम भी भारत के सर्वाधिक गरीब ज़िलों मे काम करने वाले नागरिक समाज संगठनों के बड़े नेटवर्क (गठबंधन) के माध्यम से यही करने का प्रयास कर रहा है।

गरीबी कम करने के साझे लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भारतीय नागरिक समाज के साथ योजनाबद्ध तरीके से काम करना डी.एफ.आई.डी. की कार्यनीति है। भारत सरकार भी चाहती है कि गरीबी हटाने में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका बढ़े। अत: नागरिक समाज संगठनों के साथ भी डी.एफ.आई.डी. की साझेदारी इन सब बातों का परिणाम है। नागरिक समाज के साथ साझेदारी के द्वारा यह कार्यक्रम उन असंख्य गरीबों तक भी पहुँच सकेगा जो ऐसे इलाकों में नही रहते हैं, जहां गरीबों की पक्षधर राज्य सरकारों के सहयोग से डी.एफ.आई.डी. के कार्यक्रम पहले से ही चल रहे हैं। इन बातों के अलावा, देश के कई निर्धनतम इलाकों में सरकार और बाजार की शक्तियों से अधिक प्रभावकारी पहुंच नागरिक समाज संगठनों की है।

डी.एफ.आई.डी. पैक्स कार्यक्रम के लिए सात सालों के दौरान २ करोड़ ५० लाख पाउण्ड (करीब १९० करोड़ रु.) प्रदान करने हेतु वचनबद्ध है।

सामूहिक कार्यवाही द्वारा अधिकारों की मांग

पैक्स कार्यक्रम लोकतांत्रिक और सामूहिक तरीकों के माध्यम से अधिकारों और सेवाओं की मांग का समर्थन करता है। महिलाओं और परुषों के स्वयं सहायता समूहों के गठन द्वारा इस प्रक्रिया को सुलभ बनाया जाता है। बचत को बढ़ावा देने तथा तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति और लघु व्यवसाय शुरु करने के लिए ऋण देने के अलावा स्वयं सहायता समूह सामूहिक चिन्ता के मुद्दों पर चर्चा करने और कार्य योजना बनाने का मंच भी प्रदान करते हैं। पैक्स कार्यक्रम ऐसे कई उदाहरण प्रस्तुत करता है जहां स्वयं सहायता समूहों के कारण लोगों में जागरुकता बढ़ी है और उन्होंने प्रभावशाली लेकिन शांतिपूर्ण तरीकों से अपने अधिकारों की मांग रखी है। रांची ज़िले के खिजरी ब्लॉक के घरसुल गांव में स्वयं सहायता समूह की सदस्या सुमति टिर्की ऐसी एक घटना याद करते हुए बताती है कि, ''पिछले साल पास के गांव के लिए सड़क की मंज़ूरी दी गई। हमारे गांव वालों ने कहा कि हमें भी सड़क की ज़रूरत है और जब तक वह सड़क हमारे गांव तक नहीं बढ़ाई जाएगी हम उसका काम नहीं होने देंगे। सबने मिल कर कड़ा विरोध किया और अंतत: हमारे गांव तक सड़क बनाने की मंज़ूरी मिल गई और मार्च २००३ में उसका काम पूरा हुआ।''

पैक्स कार्यक्रम सावधानीपूर्वक चुने गए नागरिक समाज संगठनों द्वारा लागू किया जा रहा है। इनमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शामिल हैं जो अकेले अथवा अन्य संगठनों के साथ साझेदारी में कार्य कर रहे हैं।

२००३-२००४ के अंतिम सत्र तक पैक्स कार्यक्रम करीब ८० से भी अधिक नागरिक समाज संगठनों को समर्थन दे चुका था। इन मुख्य नागरिक समाज़ संगठनों से जुड़े छोटे और मध्यम संगठनों को मिला कर करीब ३५० गैर सरकारी संगठन पैक्स कार्यक्रम के इस नेटवर्क में शामिल थे।

सभी साझेदार संगठन स्पष्टत: परिभाषित परियोजना प्रस्तावों के अंतर्गत कार्य करते हैं। इनका नियमित रूप से यथातथ्य मूल्यांकन भी किया जाता है।

साझेदारों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे आपस में जुड़े महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर कार्य करें, जैसे:

- भूमि के अधिकारों के वंचन
- सेवाओं तक विकलांगों की पहुंच
- बाल अधिकार
- विशिष्ट इलाकों, जैसे बुंदेलखण्ड, का समग्र विकास
- व्यापक स्तर पर टिकाऊ आजीविकाओं का सृजन।

अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पैक्स साझेदार :

- संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के प्रति जनचेतना जगाते हैं।
- प्रबंधन व प्रौद्योगिकी कौशल संबंधी जानकारी व प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।
- पैरवी की कुशलताएं विकसित करते हैं।
- सीखने-समझने हेतु भ्रमण आयोजित करते हैं।
- समूहों के गठन को प्रोत्साहित करते हैं।

हालांकि पैक्स कार्यक्रम का रुझान गरीबों की ओर है लेकिन इसके द्वारा नागरिक समाज संगठनों की भूमिका और क्षमता भी विकसित की जा रही है। ऐसा करने से कार्यक्रम के लाभ लंबे समय तक कायम रह सकते हैं।

पैरवी के जरिए और अपने सफल प्रयासों को प्रसारित करने और अन्य संस्थाओं के साथ गठबंधन बनाने के माध्यम से कार्यक्रम निम्नलिखित दीर्घकालीन लक्ष्यों को पूरा करने की उम्मीद रखता है:

- गरीबी कम करने के सफल तरीके अपनाने के लिए सरकार को प्रभावित करना
- सभी स्तरों पर सरकार को अधिक प्रभावकारी और उत्तरदायी बनाना
- समाज को गरीबों की समस्याओं व अपेक्षाओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाना ।

स्थानीय स्वशासन की पहलकदमी

कुछ समय पहले तक झारखंड की राजधानी रांची से १०० कि.मी. की दूरी पर बसा बेलागारा गांव (घुमला ज़िले के घागरा ब्लॉक) में ग्रामवासियों को स्थानीय स्वशासन के बारे में कुछ पता नहीं था। गांव के एक जोशीले युवक बंदेराम ओरान का कहना है, ''अब तक इस गांव में कोई कभी एक साथ नहीं बैठा था और हमने ग्राम सभा के बारे में सुना भी नहीं था। १८ नवम्बर, २००३ को ग्राम सभा का गठन हुआ और ३२ सदस्यों की समिति का चुनाव हुआ जिसमें १६ महिलाएं भी थीं। यह समिति हमारी समस्याओं का हल ढूँढ़ने की कोशिश करेगी।''

२९ दिसम्बर, २००३ को तो एक इतिहास ही रच गया जब सांसद दुखा भगत को गांव आने का न्यौता भेजा गया। ग्राम समिति की मुखिया सावित्री देवी का कहना है, ''हमने सांसद को यहां इसलिए बुलाया ताकि हमें पंचायत भवन और स्कूल जैसी इमारतों के पुनर्निमाण के लिए अनुदान मिल जाए।''

पैक्स प्रोग्राम साझेदार संस्था की मदद से बेलागारा गांव के लोगों को एकत्रित होता देख ब्लॉक विकास अधिकारी ने उन्हें पत्र भेज कर गांव के उन लोगों के नाम की सूची मांगी जो विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत अधिकार पाने के योग्य हैं। गांव वालों का कहना है कि, ''अब हम सरकार से अपने अधिकार मांगना सीख गए हैं।''

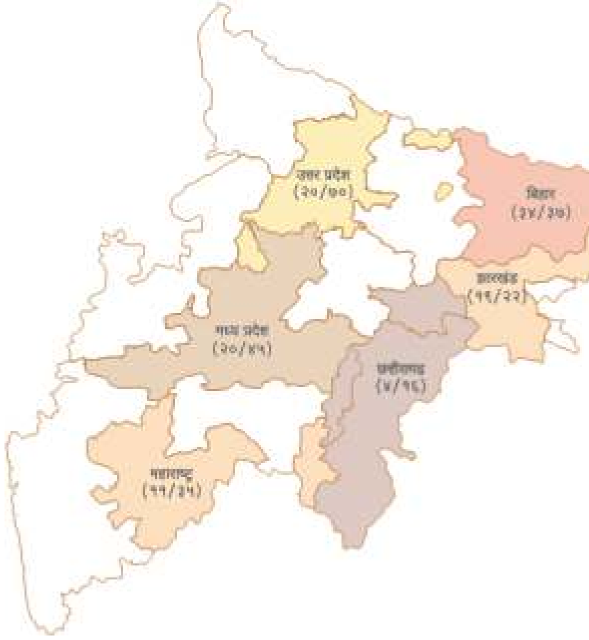

देश के सर्वाधिक गरीब क्षेत्रों के छह राज्यों में करीब १०,५०० से भी अधिक गांव

पैक्स कार्यक्रम कार्यक्षेत्र में देश के छह राज्यों के अत्यंत पिछड़े इलाके शामिल हैं।

ग्रामीण इलाकों और रोजगार के केन्द्रीय मंत्रालय की एक समिति ने सन १९९७ में भारत के १०० 'सर्वाधिक गरीब' ज़िलों की एक सूची तैयार की। इसके आधार पर पैक्स कार्यक्रम कार्यक्षेत्र का चुनाव किया गया। चयन के लिए समिति ने इन मापदण्डों का इस्तेमाल किया:

- गरीबी का अनुपात
- संरचनाओं और सेवाओं की उपलब्धता– जैसे प्राथमिक स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारी, पीने का पानी और डाकघर
- बिजली की उपलब्धता, हर मौसम में इस्तेमाल की जाने वाली सड़कों, रेल्वे स्टेशनों और बैंकों से निकटता इत्यादि बातों के आधार पर आर्थिक वृद्धि का स्तर और उसकी संभावना।

इन १०० 'सर्वाधिक गरीब' ज़िलों में से करीब ८५ प्रतिशत मध्य और पूर्व भारत में पाए जाते हैं। इनमें ये निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:

- बिहार का बड़ा हिस्सा
- मध्य और दक्षिणी उत्तर प्रदेश
- मध्य और दक्षिणी मध्य प्रदेश
- उत्तरी और पूर्व छत्तीसगढ़
- झारखंड का बड़ा हिस्सा तथा
- मध्य और पूर्व महाराष्ट्र।

पैक्स कार्यक्रम के इस कार्यक्षेत्र में भारत की ४० प्रतिशत जनसंख्या रहती है। (डी.एफ.आई.डी. कुछ अन्य कार्यक्रमों में उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों के साथ साझेदार है।)

सन् २००३ के अंत तक पैक्स कार्यक्रम के तहत उपरोक्त क्षेत्र के ७० ज़िलों में १०,५०० गांवों के लगभग २७५ प्रशासनिक ब्लॉकों में परियोजनाएं कार्यान्वित थीं।

पैक्स कार्यक्रम कार्यक्षेत्र में मानवीय निर्धनता *(राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट २००१ के आंकड़े)*

राज्य	गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या (लाख में)	महिलाओं की कुल जनसंख्या में साक्षर महिलाओं का प्रतिशत	सुरक्षित पीने का पानी पाने वाले घरों का प्रतिशत (१९९१ के आंकड़े)	उन लोगों का प्रतिशत जिनकी ४० वर्ष की उम्र से अधिक जीने की उम्मीद नहीं है (१९९१ के आंकड़े)	५ वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यू दर (हर १००० बच्चों में) (१९९१ के आंकड़े)	प्रति १००,००० जन्मों में प्रसूति माताओं की मृत्यु दर (१९९८ के आंकडे)
उत्तर प्रदेश	५२९.८९	४२.९७	६४.६१	२२.२	३५.६	७०७
बिहार +	४२५.६४	३३.५७	६२.४४	१९.५	२२.८	४५२
मध्य प्रदेश ++	२९८.५४	५०.५५	५७.१८	२५.३	४४.५	४९८
महाराष्ट्र +++	२२७.९९	६७.५१	७०.५१	१२.३	१६.३	१३५

\+ इनमें नवगठित राज्य झारखंड का क्षेत्र भी शामिल है।

++ इनमें नवगठित राज्य छत्तीसगढ़ का क्षेत्र भी शामिल है।

+++ मानवीय विकास संकेतकों के हिसाब से महाराष्ट्र काफी उँची श्रेणी में आता है, लेकिन राज्य के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों केविकास में बहुत असंतुलन और असमानता है।

प्रबंधन, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन और शिक्षा की सुपरिभाषित व्यवस्था

पैक्स कार्यक्रम का प्रबंधन दो प्रतिष्ठित संगठनों के संघ द्वारा किया जाता है :

- डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स, जो विविध विषयों पर कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विकास संगठन है। पिछले दो दशकों से यह संगठन टिकाऊ विकास पर कार्य कर रहा है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- प्राईसवाटरहाऊजकूपर्स (प्रा.) लि. भारत की सबसे बड़ी व्यावसायिक सेवाओं की संस्था है। यह प्राइसवाटरहाऊजकूपर्स (पी.डब्लू.सी.) इंटरनेशनल लि. के विश्वव्यापी नेटवर्क का सदस्य भी है।

यद्यपि प्रबंधन परामर्शदाताओं (मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स) का यह संघ सीधे डी.एफ.आई.डी. के प्रति जबाबदेह है, लेकिन एक राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड (नैशनल बोर्ड ऑफ एडवाइसर्स) भी इन्हें मार्गदर्शन देता है। इसमें भारतीय नागरिक समाज के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले १२ सदस्य शामिल हैं।

इस राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा परिभाषित नीति ढाँचे के अंतर्गत एक परियोजना चयन समिति का गठन किया गया है। यह परियोजना चयन समिति नागरिक समाज संगठनों द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं का मूल्यांकन करती है, उन्हें स्वीकृत करती है और उनकी तरक्की का लेखा–जोखा रखती है।

परियोजनाएं पाने के लिए प्रबंधन परामर्शदाताओं ने अति सक्रिय तरीके अपनाए। विभिन्न संचार माध्यमों के ज़रिए पैक्स कार्यक्रम की जानकारी प्रसारित करने के साथ साथ प्रबंधन परामर्शदाताओं ने पिछड़े इलाकों में कई कार्यशालाओं का भी आयोजन किया ताकि:

- कार्यक्रम को बढ़ावा मिले
- परियोजना प्रस्तावों के गठन को प्रोत्साहन मिले
- नागरिक समाज संगठनों और अन्य संगठनों के गठबन्धन बनें
- स्थानीय रूप से महत्वपूर्ण मुद्दों को पहचाना जाए और उन्हें कार्यक्रम में शामिल किया जाए।

विशिष्ट क्षेत्रों, जैसे पैरवी के मुद्दों और संचार माध्यमों के प्रभावी इस्तेमाल, में सहभागी नागरिक समाज संगठनों की जानकारी और क्षमता बढ़ाने के लिए भी कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं।

प्रबंधन परामर्शदाताओं ने कुछ प्रतिष्ठित संसाधन संगठनों (रिसोर्स आर्गेनाइजेशन) को भी नियुक्त किया है ताकि वे:

- परियोजनाएं विकसित करने में नागरिक समाज संगठनों की मदद करें
- समर्थनात्मक पर्यवेक्षण करें
- संचार नीतियां विकसित करें
- प्रक्रिया प्रलेखन (प्रोसेस डॉक्युमेंटेशन) प्रदान करें
- कार्यनीति दस्तावेज तैयार करें
- परियोजनाओं का विश्लेषण करें।

एक संसाधन संगठन को संचार तकनीक आधारित पर्यवेक्षण, मूल्यांकन और शिक्षण (मॉनीटरिंग, इवैल्यूएशन एण्ड लर्निंग – 'मील') व्यवस्था बनाने और स्थापित करने के लिए नियुक्त किया गया है। पर्यवेक्षण, मूल्यांकन और शिक्षा की यह व्यवस्था कार्यक्रम को अधिक कुशल और बेहतर बनाएगी। इससे सहभागी नागरिक समाज संगठनों और अन्य इच्छुक एजेन्सियों के बीच जानकारी तथा अनुभवों का आदान–प्रदान भी सुनिश्चित किया जाएगा।

पैक्स कार्यक्रम का प्रबंधन कठोर परंतु गतिशील तरीके से किया जाता है। हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ साथ नई कार्यनीतियों और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को भी बराबर स्थान दिया जाता है।

पैक्स प्रोग्राम का ढांचा

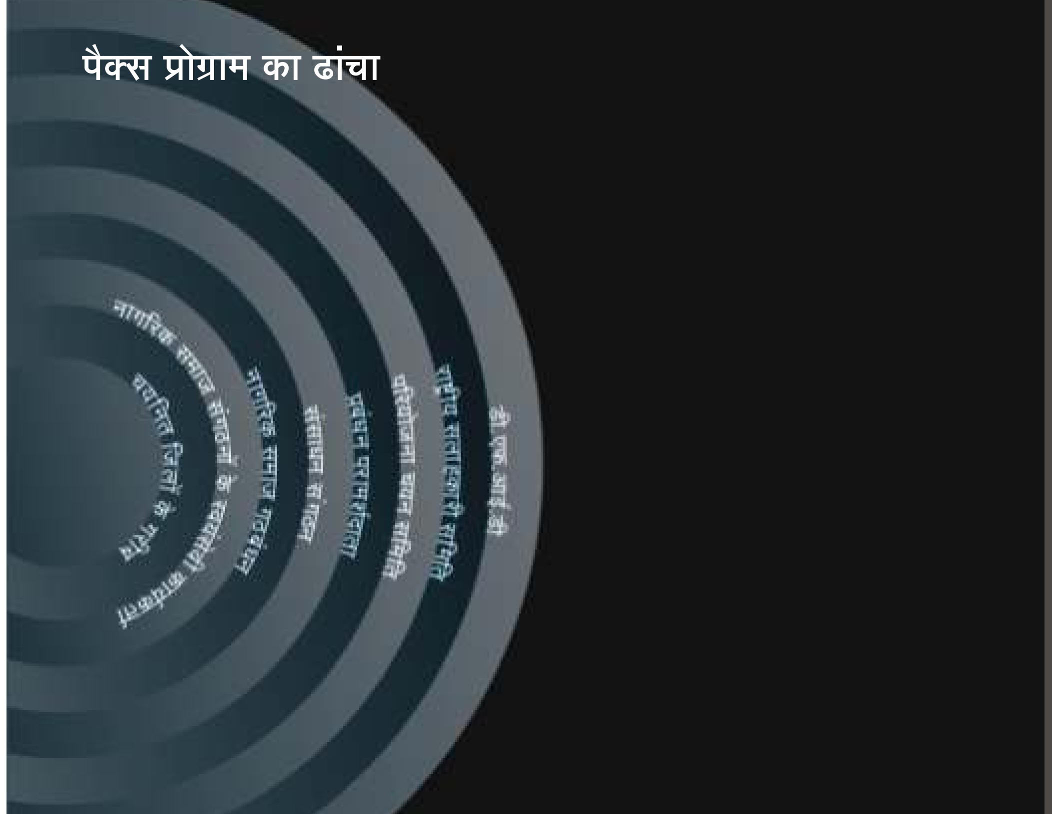

पैक्स कार्यक्रम के तहत समर्थन पाने के लिए आवश्यक मापदण्ड और योग्यताएं

निम्न मापदण्ड और योग्यताएं पूरी करने वाले नागरिक समाज संगठनों को ही पैक्स कार्यक्रम के तहत आर्थिक समर्थन मिल सकता है :

- सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट (समितियों का पंजीकरण अधिनियम), ट्रस्ट एक्ट (न्यास अधिनियम) और/अथवा को–ऑपरेटिव्स एक्ट (सहकारिता अधिनियम), इंडियन ट्रेड यूनियन्स एक्ट (भारतीय व्यापार संघ अधिनियम) के अंतर्गत पंजीकरण
- फॉरेन कंट्रीब्यूशन्स रेग्युलेशन एक्ट (विदेशी अनुदान अधिनियम) के तहत पंजीकरण
- आई.टी. एक्ट (आयकर अधिनियम) की धारा १२अ के तहत पंजीकरण
- कार्यक्रम और वित्तीय प्रबंधन के लिए अच्छी तरह स्थापित पध्दतियां, अभ्यास और प्रणालियां
- पैक्स कार्यक्रम के मुख्य विषयों की अच्छी समझ और उन क्षेत्रों में क्षमता वर्धन की सिद्ध योग्यता
- गरीबी उन्मूलन परियोजनाओं के कार्यान्वयन का अनुभव
- नेटवर्क के साथ कार्यरत हो और नए गठबंधन बनाने की क्षमता रखते हो
- चिन्हित ज़िलों में संकेन्द्रण।